Ref. No. 1209/AKM/2023/ 14152 A

दिनांक 19/08/2023

आवश्यक–सूचना

महाविद्यालय की सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि **शिकायत निवारण प्रकोष्ठ**, आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहाबाद (मा०) द्वारा दो दिवसीय "**ऐण्टी रैगिंग अभियान**" को चलाया जा रहा है। जिसमें 22 अगस्त, 2023 को महाविद्यालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर ऐंटी रैगिंग पोस्टर लगाए जाएंगे व 23 अगस्त, 2023 को ऐंटी रैगिंग हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस अभियान में भाग लेकर इसका समर्थन करें।

डॉ० मुमताज़
संयोजिका

डॉ० (श्रीमती) आरती त्रेहन
कार्यवाहक–प्राचार्या
Principal (Offg.)
Arya Kanya Mahavidyalya
Shahabad Markanda

GPS Map Camera
Shahbad,HR,India
Subhash Nagar, Shahbad, 136135, HR, India
Lat 30.172107, Long 76.865395
08/22/2023 10:35 AM GMT+05:30

GPS Map Camera
Shahbad,HR,India
Subhash Nagar, Shahbad, 136135, HR, India
Lat 30.172083, Long 76.865449
08/22/2023 10:34 AM GMT+05:30

आर्य कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को किया रैगिंग के विरुद्ध जागरूक

शाहबाद में आर्य कन्या महाविद्यालय में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की सदस्यों के साथ छात्राएं।(आजाद)

शाहाबाद मारकंडा, 22 अगस्त (मदन) : आर्य कन्या महाविद्यालय के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ द्वारा 2 दिवसीय ऐंटी रैगिंग अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान के प्रथम दिन महाविद्यालय में विशेष चिह्नित स्थानों पर रैगिंग विरोधी पोस्टर लगाकर छात्राओं को जागरूक किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्या डा. आरती त्रेहन ने विभिन्न संकायों की द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की छात्राओं को कहा कि भारत सरकार ने यू.जी.सी एक्ट 2019 के अन्तर्गत रैगिंग को कानूनी अपराध घोषित किया है और इस एक्ट का उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रावधान है।

नए सत्र 2023-24 में प्रथम वर्ष की छात्राएं महाविद्यालय में नई हैं। इसलिए अपनी कनिष्ठ छात्राओं के साथ विवेक पूर्ण व्यवहार करना और उनका सही मार्गदर्शन करना आपका कर्त्तव्य है। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की संयोजिका डॉ0 मुमताज ने छात्राओं को कहा कि हमारा महाविद्यालय रैगिंग फ्री कैम्पस है और महाविद्यालय में रैगिंग को रोकने हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसलिए यदि आपको इस तरह ही कोई समस्या आती है तो आप अपनी समस्या को शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में दर्ज करवा सकती हैं। इस अवसर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से संजुल गुप्ता, डा. अन्जु, रितु मित्तल एवं डा. सिमरजीत कौर सहित महाविद्यालय की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की लगभग 152 छात्राएं उपस्थित रहीं।

Punjab Kesari, 23/08/2023

Ajit Smachar, 23/08/2023

शाहाबाद : छात्राओं को रैगिंग के प्रति जागरूक करते हुए प्राचार्या डा. आरती त्रेहन व अन्य। (छाया : विजय कुमार)

छात्राओं को किया रैगिंग के प्रति जागरूक

शाहाबाद मारकंडा, 22 अगस्त (विजय कुमार): शिकायत निवारण प्रकोष्ठ आर्य कन्या महाविद्यालय द्वारा दो दिवसीय एंटी रैगिंग अभियान का आरंभ किया गया। अभियान के प्रथम दिन महाविद्यालय में विशेष चिन्हित स्थानों पर रैगिंग विरोधी पोस्टर लगाकर छात्राओं को जागरूक किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. आरती त्रेहन ने विभिन्न संकायों की द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार ने यूजीसी एक्ट 2019 के अंतर्गत महाविद्यालयों में रैगिंग को कानूनी अपराध घोषित किया है और इस एक्ट का उल्लंघन करने पर कठोर दंड का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने नए सत्र 2023-24 में प्रथम वर्ष की छात्राएं महाविद्यालय में नई हैं इसलिए कनिष्ठ छात्राओं के साथ विवेकपूर्ण व्यवहार करना, उनका सही मार्गदर्शन करना सीनियर छात्राओं का कर्तव्य है। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की संयोजिका डॉ. मुमताज ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा महाविद्यालय रैगिंग फ्री कंपस है और महाविद्यालय में रैगिंग को रोकने हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसलिए आपको इस तरह की कोई समस्या आती है तो आप अपनी समस्या की शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में दर्ज करवा सकती हैं। इस मौके पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से संजुल गुप्ता, अंजु, रितु मित्तल एवं डॉ. सिमरजीत कौर सहित महाविद्यालय की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की लगभग 152 छात्राएं मौजूद रहीं।

No. 801/AKM/2023/1468 Date 22/08/2023

छात्राओं को किया रैगिंग के विरूद्ध जागरूक

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहाबाद मारकण्डा द्वारा आज दो दिवसीय ऐंटी रैगिंग अभियान का आरंभ किया गया। अभियान के प्रथम दिन आज महाविद्यालय में विशेष चिह्नित स्थानों पर रैगिंग विरोधी पोस्टर लगाकर छात्राओं को जागरूक किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ० (श्रीमती) आरती त्रेहन ने विभिन्न संकायों की द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार ने UGC Act-2019 के अन्तर्गत रैगिंग को कानूनी अपराध घोषित किया है और इस एक्ट का उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रावधान है। नये सत्र 2023–24 में प्रथम वर्ष की छात्राएँ महाविद्यालय में नई हैं। इसलिए अपनी कनिष्ठ छात्राओं के साथ विवेकपूर्ण व्यवहार करना और उनका सही मार्गदर्शन करना आपका कर्त्तव्य है। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की संयोजिका डॉ० मुमताज़ ने छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारा महाविद्यालय रैगिंग फ्री कैम्पस है और महाविद्यालय में रैगिंग को रोकने हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसलिए यदि आपको इस तरह ही कोई समस्या आती है तो आप अपनी समस्या को शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में दर्ज करवा सकती हैं। इस अवसर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से श्रीमती संजुल गुप्ता, डॉ० अन्जु, श्रीमती रितु मित्तल एवं डॉ० सिमरजीत कौर सहित महाविद्यालय की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की 152 छात्राएँ उपस्थित रहीं।

Aarti

डॉ० (श्रीमती) आरती त्रेहन
कार्यवाहक प्राचार्या
Principal (Offg.)
Arya Kanya Mahavidyalya
Shahabad Markanda